प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 31.05.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता 1. सुबाष पुत्र ओरी निवासी महाखरपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, का0 आनन्द दुबे।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 23 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 7667 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल**–* पीआरवी 7667 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत मदारपुर से कालर द्वारा मोटरसाइकिल और साइकिल में टक्कर हो जाने के कारण 01 व्यक्ति (1. रवि पुत्र इन्द्रजीत मौर्या निवासी भगुरा अहिरानी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 सूरज भारती, हो0चा0 परमेश्वर**।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 76 वाहनों से 83,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 76 वाहनों से 83,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट, एससी/एसटी एक्ट के मामले में 02 अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष के कारावास व 11000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 31.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2012 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्तगण मनीष कुमार मौर्या व वृन्दावन मौर्या को धारा 323 भादवि में प्रत्येक को 06-06 माह का कारावास व 500-500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से भुगतना होगा। धारा 504 भादवि में प्रत्येक को 01-01 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से भुगतना होगा। धारा 506 भादवि में प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास व 1000-1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से भुगतना होगा तथा धारा 3(1)X एससी/एसटी एक्ट में प्रत्येक को 03-03 वर्ष के कारावास व 3000-3000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 के अर्धदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को ***मा0न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 127/1998 धारा 325/504/427 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता रामअधीन पुत्र रामपति निवासी सेमरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 325 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि व 2500 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि, धारा 427 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि व 500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 के अर्धदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को ***मा0न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 3000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 127/1998 धारा 325/504/427 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता रामअधीन पुत्र रामपति निवासी सेमरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 325 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि व 2500 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि, धारा 427 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि व 500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पाक्सो एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को ***माननीय न्यायालय एएसजे/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 155/2016 धारा 354/323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता 01- विजय पुत्र विनोद निवासीगण मुठहीकला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्दि के आधार पर अभियुक्त को धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अन्तर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा।